

मद क्रमांक 1

डिक्री धन के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹8.16838 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹8,16,838 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रशिक्षण पर ₹40.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु भोजन वृत्ति पर ₹300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सम्मेलन मद अंतर्गत ₹70.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु पारितोषिक मद अंतर्गत ₹90.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सामग्री और पूर्तियां मद अंतर्गत ₹200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु परिवहन व्यय मद अंतर्गत ₹50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जगदलपुर वृत्त कार्यालय में विभागीय अभिलेखों के रखरखाव के लिए आलमीरा/रेक क्रय हेतु ₹10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

क्षेत्रीय वनमंडल योजनांतर्गत नवीन वनमंडल कार्यालय मोहला के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹22.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु ₹250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

बिगड़े वनों के सुधार बांस वनों सहित योजनांतर्गत वानिकी कार्य हेतु मजदूरी पर ₹300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

बिगड़े वनों के सुधार बांस वनों सहित योजनांतर्गत वानिकी कार्य हेतु सामग्री और पूर्तियां के लिए ₹200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु सामग्री और पूर्तियां अंतर्गत ₹60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु ₹40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु ₹500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

काष्ठ कूपों के विदोहन हेतु वन प्रबंधन समितियों को लाभांश वितरण के लिए ₹2093.12 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹20,93,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

बांस कूपों के विदोहन हेतु वन प्रबंधन समितियों को लाभांश वितरण के लिए ₹1006.88 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,06,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

डिक्री धन के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹1.39637 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹1,39,637 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

चिड़ियाघरों के विकास एवं उन्नयन योजना अंतर्गत वन्य प्राणियों के लिए खाद्य सामग्री हेतु ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।